न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।

प्रकीर्ण सिविल वाद सं0–204/2024

त्रिलोकीनाथ सिंह आदि बनाम त्रिभुवन आदि

दिनांक–14.03.2026

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेश हेतु पेश हुई।

आवेदकगण की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ग मय शपथ पत्र 4ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सामान्य वाद संख्या–455/12 त्रिलोकी सिंह आदि बनाम त्रिभुवन आदि, न्यायालय चतुर्थ अपर सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा पर विचाराधीन है तथा सामान्य वाद संख्या–1512/14, त्रिलोकी सिंह आदि बनाम त्रिभुवन आदि, न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा पर विचाराधीन है। दोनों मूल वादों में पक्षकार तथा विवादित भूमि की स्थिति एक ही है, ऐसे में उपरोक्त दोनों वादों का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त दोनों वादों में वाद बिन्दु का विवचन एवं निस्तारण हो चुका है। अतः दोनों वादों के विचारण में सुगमता हेतु सामान्य वाद सं0–455/12, त्रिलोकी सिंह बनाम त्रिभुवन आदि व सामान्य वाद सं0–1512/14 त्रिभुवन बनाम त्रिलोकी आदि विचारण हेतु एक ही न्यायालय पर स्थानान्तरित किए जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 3ग पर अनापत्ति अंकित की गई है।

सुना तथा पत्रावली एवं सम्बन्धित न्यायालयों की अद्यतन आख्या का अवलोकन किया।

सम्बन्धित न्यायालयों की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य वाद संख्या–455/2012 त्रिलोकीनाथ सिंह बनाम त्रिभुवन आदि की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष सं0–4, गोण्डा पर विचाराधीन है तथा सामान्य वाद संख्या–1512/2014 त्रिभुवन आदि बनाम त्रिलोकी आदि की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा पर विचाराधीन है। चूंकि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त दोनों सामान्य वाद को एक ही विवादित भूमि से सम्बन्धित होने तथा दोनों वादों में पक्षकार समान होना बताया गया है, जिसका खण्डन विपक्षी द्वारा भी नहीं किया गया है, ऐसे में उपरोक्त दोनों सामान्य वाद का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः न्यायहित में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा पर विचाराधीन सामान्य वाद सं0–1512/2014 त्रिभुवन आदि बनाम त्रिलोकी आदि की पत्रावली को वापस लेकर न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष सं0–4, गोण्डा पर विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.03.28 19:27:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3ग **स्वीकार** किया जाता है।

सामान्य वाद सं0–1512/2014 त्रिभुवन आदि बनाम त्रिलोकी आदि की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा से वापस लेकर न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष सं0–4, गोण्डा पर विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(दुर्ग नरायन सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863

दिनांक–14.03.2026